



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 17, 1990/वैशाख 27, 1912
No. 264] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 17, 1990/VAISAKHA 27, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 1990

का.आ. 391(अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम 1961 का और
मंशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (दो मी बारहवां संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में—

(क) “कृषि मंत्रालय” शीर्षक के अधीन “क. कृषि और सहकारिता विभाग” उप-शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 5 में उप-प्रविष्टि (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उप-प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(ग). कृषि उद्योगों, जिनके अन्तर्गत मशीनरी, उर्वरक, बीज, और पशु खाद्य है, किन्तु कपास ओटाई और दवाई नहीं है का इस परिसीमा के साथ विकास की कृषि उद्योगों जिनके अन्तर्गत मशीनरी और उर्वरक हैं, के विकास के बारे में कृषि विभाग, के कृत्य, मांगों के आकलन और लक्ष्यों के नियतन से अधिक न हों।”;

(ख) “पर्यावरण तथा वन मंत्रालय” शीर्षक के अधीन “पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग” उप-शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 17 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जारी की जाएगी, अर्थात् :—

“18. भारतीय प्लाष्टबुड उद्योग अनुसंधान संस्थान, बंगलौर।”;

(ग) “उद्योग मंत्रालय” शीर्षक के अधीन “क. औद्योगिक विकास विभाग” उप-शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 22 का लोप किया जाएगा;

(घ) “वस्त्र मंत्रालय” शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“2. कपास, जिसके अन्तर्गत उसकी ओटाई और बघाई, पूति, प्रायात, निर्यात और कीमतों का स्थिरीकरण और प्रचालन भी है।”

रामस्वामी बेंकटरामन,

राष्ट्रपति

[फा. सं. 74/2/1/90-मंत्रि.]

दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 1990

S.O. 391(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and Twelfth Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(a) under the heading “MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (KRISHI AUR SAHAKARITA VIBHAG)”, in entry 5, for the sub-entry (c), the following sub-entry shall be substituted, namely :—

“(C). Development of agricultural industries including machinery, fertilizer, seeds and cattle feed, but excluding cotton ginning and pressing, with the limitation that in regard to the development of agricultural industries including machinery and fertilizer, the functions of the Department of Agriculture (Krishi Vibhag) do not go further than the formulation of demands and the fixation of targets.”

(b) under the heading “MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PARYAVARAN TATHA VAN MANTRALAYA)”, under the sub-heading “DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE (PARYAVARAN, VAN AUR VANYA JEEV VIBHAG)”, after entry 17, the following entry shall be added, namely :—

“18. Indian Plywood Industries Research Institute, Bangalore.”;

(c) under the heading “MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA), under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS VIBHAG)”, entry 22 shall be omitted.

(d) under the heading "MINISTRY OF TEXTILES (VASTRA MAN-TRALAYA)" for entry 2, the following entry will be substituted, namely :--

"2. Cotton, including ginning and pressing thereof, domestic supply, inputs and price stabilisation operations."

R. VENKATARAMAN,
PRESIDENT

[No. 74|2|1|90•Cab.]
D. DAS GUPTA, Jt. Secy.